



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय विभाग

संख्या:- 291 / XXXVi (3) / 2025-16 / 2001

देहरादून, 22 अगस्त, 2025

विज्ञप्ति

प० आ०-54

एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा-4 तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् सत्यापन नियम 2015 के नियम 32 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड बार काउन्सिल के प्रभावी कामकाज एवं प्रशासकीय कार्य हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 के अनुपालन में दिनांक 16.08.2025 से दिनांक 15.11.2025 तक श्री राकेश गुप्ता, अधिवक्ता, अध्यक्ष तथा श्री राजबीर सिंह बिष्ट, अधिवक्ता, उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाते हैं।

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव।